प्रेस नोट ***20/06/2026***

आज दिनांक 20.06.2026 को तहसील मुहम्मदाबाद में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी मऊ श्री आनन्द वर्धन व पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर एव उपजिलाधिकारी मुहम्मदाबाद, क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद के साथ संयुक्त रूप से जन समस्याओं की सुनवाई की जा रही है, समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया कि प्रत्येक मामले का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से भूमि विवाद संबंधी मामलों में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा संयुक्त जांच कर निस्तारण किया जाए, ताकि फरियादियों को एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर न काटने पड़ें और उनकी समस्याओं का त्वरित एवं न्यायोचित समाधान सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन अनुमानित कीमत लगभग 19000 रुपये साइबर पुलिस टीम थाना सरायलखंसी जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में तथा थानाध्यक्ष सरायलखंसी जनपद मऊ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.06.2026 को आम जनता के गुम हुए 01 अदद मोबाइल फोन साइबर क्राइम पुलिस टीम थाना सरायलखंसी जनपद मऊ द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उनके मालिक को तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 20.06.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 33 टीम गठित कर जनपद के 40 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 426 वाहनों को विभिन्न

धाराओ में चालान किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

पीड़िता के पुत्र को फर्जी जाँच अधिकारी बन कर डरा कर फ्राड की गई धनराशि मे से रुपये 18592.36/- को साइबर टीम थाना रामपुर जनपद मऊ द्वारा पीड़िता के खाते मे कराया गया वापस-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर निर्देशन में साइबर फ्रॉड रोकथाम व जागरूकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मधुबन व थानाध्यक्ष रामपुर के कुशल नेतृत्व में थाना रामपुर साईबर टीम द्वारा थाना स्थानीय की निवासिनी उषा देवी पत्नी सियाराम चौहान निवासी धनेवा थाना रामपुर द्वारा प्राप्त शिकायत कि पीड़िता के पुत्र को फर्जी जाँच अधिकारी बनकर पीड़िता के खाते से कुल 78001/- रु डरा कर ट्रांसफर करा लिए गये। पीड़िता ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर काल कर पूर्ण शिकायत दर्ज कराई, जो थाना रामपुर को प्राप्त हुई, जिस पर कार्यवाही करते हुए 23167/- रुपये होल्ड कराते हुए आज दिनांक 20.06.2026 को 18592.36/- रुपये पीड़िता के खाते मे वापस कराया गया। पीड़िता ने साइबर टीम रामपुर तथा पुलिस विभाग की भूरि भूरि प्रशंसा की।

MRM PORTAL के माध्यम से साइबर ठगी के एक पीड़ित के खाते में 10000/- रुपये वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर जी के आदेश के अनुपालन में चलाये जा रहे साइबर फ्राड अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश सिंह व प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखंसी के कुशल नेतृत्व में थाने पर साइबर टीम द्वारा साइबर पोर्टल पर शिकायत आवेदक बच्चेलाल चौहान पुत्र-पारस चौहान ग्राम-काझा खुर्द थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के यूपीआई के माध्यम से आवेदक के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन करके फ्राड किया गया था। जिसके सम्बन्ध मे आवेदक द्वारा साइबर पोर्टल के माध्यम से शिकायत थाने पर की गयी थी जिसके तहत थाना सरायलखंसी मे नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए पीडित/आवेदक बच्चेलाल चौहान पुत्र-पारस चौहान ग्राम-काझा खुर्द थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की फ्राड धनराशि होल्ड करायी गयी थी जिसके तहत पीडित/ आवेदक को दिनांक 20.06.2026 को 10000/- रूपये वापस कराया गया